

कार्यवाही विवरण

अनुपालना के
क्रमांक व दिनांक

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित।
वकील वादी ने प्रकरण को नोट प्रेस
कर प्रकरण को आगे नहीं चलाने का
निवेदन किया। अतः वकील वादी के
नोट प्रेस के आधार पर प्रकरण इसी
स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फेसल सुभार लेकर दर्ज
नम्बर से कम ही तथा बाद
तकमील जाता दामिल दफतर है।

17/10/2018
पुर्वेक्षित
2010-21

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

